न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 33/2025

बउनवान

श्री करमचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पलसावा तहसील अन्ता, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री ओम मेहता II, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 17.12.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 14.02.2025 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम पलसावा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 710/1045 रकबा 0.20 है., किस्म– गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 14.02.2025 को निर्णय पारित कर 100/–रूपये शास्ति आरोपित कर तीस दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अपीलांट के संयुक्त खातेदारी की आराजी कुल किता 4 रकबा 2.62 है. के लगवां खसरा नंबर 710/1045 रकबा 0.20 है. स्थित है जिस पर अतिक्रमण करना बताया है जबकि मौके पर खसरा नंबर 528 से होते हुये खसरा नंबर 710/1045 से 711/1047 होते हुए रेल्वे लाईन तक रास्ता बना हुआ है जिसमें खसरा नंबर 728 व 710/1045 में कुछ भाग पर सीसी रोड़ बना हुआ है तथा इसके बाद ग्रेवल रास्ता बना हुआ है जो ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया गया है। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध मिथ्या कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा मौके पर आसपास वालों से भी कोई पूछताछ नहीं की। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2025 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

711/1047 होते हुये रेल्वे लाईन तक रास्ता बना हुआ है जिसमे
खसरा नं0 728 व खसरा नं0 710/1045 मे कुछ भाग पर सीसी रोड

हमने बहस अभयपक्ष विान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का ने मिथ्या रिपोर्ट पेश की है। विवादित आराजी अपीलांट के संयुक्त खाते की आराजीयात के लगवां स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर पैमाईश किये ही झूंठी शिकायत के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी मानकर सजायाब किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2080 में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 106/24 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 710/1045 रकबा 0.20 है0 किस्म गै.मु. रास्ता ग्राम पलसावा पर सम्वत् 2080 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 106/2024 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 49/2025 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:05 IST
Reason: SelfAttested

... लाइन तक रास्ता बना हुआ है जिसमे
खसरा नं0 728 व खसरा नं0 710/1045 मे कुछ भाग पर सीसी रोड बना हुआ है